(3)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 36 / 2025

1. मनीराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी 10 एस.एस.डब्ल्यू. बी, तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. नौरंगलाल पुत्र श्री हनुमानप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी 10 एस.एस.डब्ल्यू. बी, तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. कुंदनलाल पुत्र श्री हनुमानप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी 10 एस.एस.डब्ल्यू. बी, तहसील व जिला हनुमानगढ़

अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. दुर्गादत्त पुत्र कुम्भाराम जाति ब्राहम्ण निवासी 10 एस.एस.डब्ल्यू—बी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 551 दिनांक 10.02.2022, कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, जिसकी रूह से चक 10 एस एस डब्ल्यू बी में इंतकाल संख्या 551 डिक्री दिनांक 07.04.2021 के आधार पर दर्ज न कर कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से इंतकाल दर्ज कर अपीलाण्ट को विभाजन में मिली कृषि भूमि का इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिया गया। बमुराद मन्सूखी उक्त निर्णय एवं डिक्री एवं स्वीकार किये जाने अपील।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः— 1. श्री तरसेम सिंह सिधु अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 02
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः— 13.04.2026

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88 आर टी एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 28 की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि चक 10 एस.एस.डब्ल्यू. (बी) तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या—105 / 76 पत्थर नंबर 141 / 293 (38) किला नबर—1 से 5, 6 / 1 / 0.076, पत्थर नंबर 142 / 293 (39) किला नंबर 1 से 5, 6 / 1 / 0.076, पत्थर नंबर 142 / 294 (46) किला नंबर 1 से 5,6 / 1 / 0.101, पत्थर नंबर 141 / 294 (47) किला नंबर 1 से 5, 6 / 1 / 0.101 कुल 5.414 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला व रास्ता में से वादी का 1 / 8 हिस्सा यानि 1.341 हैक्टेयर व चक 10 एस. एस.डब्ल्यू. (बी) तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या—106 / 78 पत्थर नंबर 142 / 292 (34) किला नंबर—18 से 25, पत्थर नंबर 141 / 293 (38) किला नंबर 6 / 2 / 0.177. 7 से 25, पत्थर नंबर 142 / 293 (39) किला नंबर 6 / 2 / 0.177, 7 से 25, पत्थर नंबर 142 / 294 (46) किला नंबर 6 / 2 / 0.152, 7 से 25, पत्थर नंबर 141 / 294 (47) किला नंबर 6 / 2 / 0.152, 7 से 25, पत्थर नंबर 141 / 295 (49) किला नंबर 1 से 15, पत्थर नंबर 142 / 295 (50) किला नंबर 1 से 17 कुल 30.006 हैक्टेयर नहरी व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला व रास्ता में से वादी का 1 / 8 हिस्सा यानि 3.086 हैक्टेयर दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने घरू तौर पर अच्छी मंदी के हिसाब से अर्सा दराज पूर्व विभाजन कर रखा है व इसी अनुसार काश्त करते आ रहे है। वादी के कब्जा काश्त व विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि चक 10 एस.एस.डब्ल्यू. (बी) तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या—105 / 76 पत्थर नंबर 142 / 293 (39) किला नंबर 1 से 5, 6 / 1 / 0.076 कुल 1.341 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन। व चक 10 एस.एस.डब्ल्यू. (बी) तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या—106 / 78 पत्थर नंबर 142 / 292 (34) किला नंबर—20,

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पत्थर नंबर 142/293 (39) किला नंबर 6/2/0.177, 7 से 12, 13/0.126. पत्थर नंबर 142/295 (50) किला नंबर 1, 10, 11, 12 कुल 3.086 हैक्टेयर नहरी व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला व रास्ता, दोनो खातो में कुल 4.427 हैक्टेयर है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 उपरोक्तानुसार किये गये विभाजन के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है व इसी कदर रकमराज व आबयाना भी अदा किया जा रहा है लेकिन भूमि सांझा खाता की होने के कारण रोजाना सींव, बट व रकमराज का आपस में तनाजा रहता है, इस कारण वादी उक्त भूमि का उपरोक्तानुसर खाता विभाजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है आदि। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपीलाण्ट ने अपना काउंटर क्लेम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 28 की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि चक 10 एस.एस.डब्ल्यू. (बी) तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–105/76 पत्थर नंबर 141/293 (38) किला नंबर–1 से 5, 6/1/0.076, पत्थर नंबर 142/293 (39) किला नंबर 1 से 5, 6/1/0.076, पत्थर नंबर 142/294 (46) किला नंबर 1 से 5, 6/1/0.101, पत्थर नंबर 141/294 (47) किला नंबर 1 से 5, 6/1/0.101 कुल 5.414 हेक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला व रास्ता में से वादी का 1/8 हिस्सा यानि 1.341 हैक्टेयर व चक 10 एस. एस.डब्ल्यू. (बी) तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–106/78 पत्थर नंबर 142/292 (34) किला नंबर–18 से 25, पत्थर नंबर 141/293 (38) किला नंबर 6/2/0.177, 7 से 25, पत्थर नंबर 142/293 (39) किला नंबर 6/2/0.177, 7 से 25, पत्थर नंबर 142/294 (46) किला नंबर 6/2/0.152 7 से 25, पत्थर नंबर 141/294 (47) किला नंबर 6/2/0.152, 7 से 25, पत्थर नंबर 141/295 (49) किला नंबर 1 से 15, पत्थर नंबर 142/295 (50) किला नंबर 1 से 17 कुल 30.006 हैक्टेयर नहरी व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला व रास्ता में से वादी का 1/8 हिस्सा यानि 3.086 हैक्टेयर दर्ज है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी व दीगर प्रतिवादीगण के साथ घराघरू बंटवारा अच्छी मंदी के हिसाब से किया हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 के कब्जा काश्त में चक 10 एस एस डब्ल्यू बी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 142/292 (34) के किला नंबर 21, पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 13/0.127, 14 से 25, पत्थर नंबर 141/295 (49) के किला नंबर 4 से 6 व 15 कुल 4.428 है० नहरी व कमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला व रास्ता है, जिसके अनुसार ये प्रतिवादीगण काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार जरिये कांउटर क्लेम खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.04.2021 को निर्णय फरमाते हुए वादपत्र वादी व प्रतिवादी संख्या से 3 का काउंटर क्लेम डिकी फरमाते हुए अंतिम विभाजन की डिकी पारित की गई। विभाजन के डिकी के अन्तर्गत अपीलाण्ट को चक 10 एस एस डब्ल्यू (बी) तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 142/292 (34) के किला नंबर 21, पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 13/0.177, 14 से 25, पत्थर नंबर 141/295 (49) के किला नंबर 4 से 6 व 15 कुल 4.428 है० भूमि विभाजित हुई जबकि पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 13 की 0.127 है० भूमि ही अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने विभाजन की डिकी के अन्तर्गत पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 13 में अपीलाण्ट को 0.127 है० के स्थान पर 0.177 है० भूमि कतई गलत रूप से दी गई है। यही नहीं अपितु इस विभाजन की डिकी के आधार पर राजस्व अभिलेख में इंतकाल सख्या 551 दिनांक 10.02.2022 दर्ज हुआ लेकिन यह इंतकाल राजस्व अधिकारियों व पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन डिकी के अनुसार दर्ज न कर रेस्पोडेंट संख्या 2 से मिलीभगत कर अपीलाण्ट के काउंटर क्लेम में अंकित भूमि के विपरीत पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 18 में 0.253 है० की बजाय 0.228 है०. किला नंबर 23 में 0.253 है० की बजाय 0.228 है० व किला नंबर 13 में 0.127 है0 की बजाय 0.177 है० भूमि दे दी गई। उक्त इंतकाल का ज्ञान अपीलाण्ट को तब हुआ, जब माह अगस्त 2025 के प्रथम सप्ताह में रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपीलाण्ट के कब्जा काश्त के पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 18 व 23 में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तब अपीलाण्ट ने अपीलाधीन इंतकाल की नकल दिनांक 02.08.2025 को पटवारी हल्का से प्राप्त की। अपीलाण्ट अपीलाधीन इंतकाल संख्या 551 दिनांक 10.02.2022 से व्यथित होकर निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहा है अपीलाण्ट ने अपना काउंटर क्लेम प्रस्तुत करते हुए चक 10 एस एस डब्ल्यू 'बी' तहसील हनुमानगढ के पत्थर नंबर 142/292 (34) के किला नंबर 21, पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 13/0.127, 14 से 25, पत्थर नंबर 141/295 (49) के किला नंबर 4 से 6 व 15 कुल 4.428 है० भूमि कब्जा काश्त में होने का कथन कर इसी अनुसार खाता तकसीम किए जाने का निवेदन किया था लेकिन विचारण

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

न्यायालय ने अपीलाण्ट का काउंटर क्लेम डिकी फरमाते हुए विभाजन के डिकी के अन्तर्गत अपीलाण्ट को चक 10 एस एस डब्ल्यू बी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 142/292 (34) के किला नंबर 21, पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 13/0.177. 14 से 25, पत्थर नंबर 141/295 (49) के किला नंबर 4 से 6 व 15 कुल 4.428 है० भूमि विभाजित हुई जबकि पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 13 की 0.127 है० भूमि ही अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने विभाजन की डिकी के अन्तर्गत पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 13 में अपीलाण्ट को 0.127 है० के स्थान पर ०. 177 है० भूमि कतई गलत रूप से दी गई है। इस विभाजन की डिकी के आधार पर राजस्व अभिलेख में इंतकाल सख्या 551 दिनांक 10.02.2022 दर्ज हुआ लेकिन यह इंतकाल राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों एवं पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन डिकी के अनुसार दर्ज न कर रेस्पोडेंट संख्या 2 को लाभ पहुंचाने की गर्ज से गलत रूप से दर्ज किया गया और अपीलाण्ट को डिकी के अनुसार प्राप्त हुई भूमि में से पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 18 में 0.253 है० की बजाय 0.228 है०, किला नंबर 23 में 0.253 है० की बजाय 0.228 है० व किला नंबर 13 में 0.127 है0 की बजाय 0.177 है० भूमि दे दी गई। इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट ने अपने काउंटर क्लेम में पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 18 सालम, किला नंबर 23 सालम व किला नंबर 13 की 0.127 है० भूमि प्राप्त होने का अंकन किया है लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन डिकी के अंतर्गत किला नंबर 13 में 0.127 है० के स्थान पर किला नंबर 0.177 है० भूमि दे दी गई जिससे अपीलाण्ट को विभाजन में मिली भूमि के योग में अन्तर रह गया, बल्कि रेस्पोडेंट सं० 2 ने डिकी के आधार पर इंतकाल संख्या 551 दर्ज करवाते हुए पटवारी हल्का व राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर पत्थर नंबर 142/293 (39) का किला नंबर 18 व 23 जो सालम अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है व काउंटर क्लेम व विभाजन की डिकी में दर्ज है, में से 0.025 है0 व 0.025 है० भूमि कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली। इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल अपास्त होने योग्य है। अपीलाधीन इंतकाल का ज्ञान अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं था। माह अगस्त 2025 के प्रथम सप्ताह में रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपीलाण्ट के कब्ता काश्त के पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 18 व 23 में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तब अपीलाण्ट ने अपीलाधीन इंतकाल के बारे में पता किया व दिनांक 02.08.2025 को अपीलाधीन इंतकाल की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की। ज्ञान के दिवस से अपील अन्दर मियाद है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से अपीलाधीन इंतकाल के जरिये अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की कृषि भूमि प्राप्त की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इंतकाल संख्या 551 दिनांक 10.02.2022 अपास्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट को डिकी दिनांक 07.04.2021 में विभाजन में दी गई कृषि भूमि के अनुसार अपीलांट के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 01 ता 02 की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट 02, जरिये अभिभाषक तथा रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इंतकाल संख्या 551 दिनांक 10.02.2022 अपास्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट को डिकी दिनांक 07.04.2021 में विभाजन में दी गई कृषि भूमि के अनुसार अपीलांट के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जाये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथन को दोहराते हुए कथन किया की रेस्पोंडेंट संख्या–1 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2021 की पालना में उक्त नामांतरण दर्ज किया गया है, जो किसी भी प्रकार से गलत या विधिविरुद्ध नहीं है। अगर अपीलाण्ट न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से व्यथित हैं, तो उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर चाराजोई कर सकता है। विधि के प्रावधानों के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है, इस कारण उक्त अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। उक्त

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

निर्णय व डिक्री वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मुताबिक राजीनामा पारित किया गया था। पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 13/0.076,18/0.025 पश्चिमी दिशा व 23/0.025 पश्चिमी दिशा रेस्पोंडेंट संख्या–2 को मुताबिक वाद पत्र प्राप्त हुई थी तथा उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर ही रेस्पोंडेंट संख्या–1 द्वारा उक्त नामांतरण दर्ज किया गया है तथा उक्तानुसार ही उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेंट संख्या–2 के कब्जाकाश्त में है। अपीलाण्ट को उक्त नामांतरण का ज्ञान रेस्पोंडेंट संख्या–2 द्वारा अपीलाण्ट के कब्जाकाश्त के पत्थर नंबर 142/293 (39) के किला नंबर 18 व 23 में हस्तक्षेप करने पर अपीलाधीन इंतकाल की नकल दिनांक 02.08.2025 को प्राप्त करने से हुआ, कतई झूठ है, उक्त कथन अपीलाण्ट ने मिथ्या आधारों पर अपील को मियाद में लेने हेतु वर्णित किए हैं। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2021 तथा मुताबिक निर्णय व डिक्री अपीलाधीन इंतकाल संख्या 551, दिनांक 10.02.2022 की जानकारी अपीलाण्ट को शुरू दिन से ही रही है। अपीलाण्ट ने उक्त अपील करी 4 वर्ष 4 माह व 20 दिवस पश्चात प्रस्तुत की है, जो किसी भी प्रकार से अंदर मियाद ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है। अतः निवेदन किया की अपील अपीलाण्ट मियाद बाहर एवं इस न्यायालय में पोषणीय नही होने से खारिज फरमाई जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के आदेश का विधि अनुसार है, इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स ने धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने से 25 दिवस पूर्व ही होना बताया है। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया:–

1. प्रश्नगत नामांतकरण न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ की डिक्री दिनांक 07.04.2021 की पालना में किया गया है।
2. प्रश्नगत अपील से अपीलांट ने डिक्री की पालना में जारी इंतकाल को निरस्त करवाने का निवेदन किया है। विचारणीय न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 551 दिनांक 10.04.2022 न्यायाल सहायक कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय / डिक्री दिनांक 07.04.2021 की पालना में दर्ज किया गया है। अगर अपीलाण्ट उक्त निर्णय / डिक्री से प्रभावित है तो उक्त डिक्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। इस न्यायालय को मेरी विनम्र राय में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ